ज़िब्ह से सम्बन्धित मसअले

(क़ुर्बानी के लिए जानवर को काटने के सम्बन्ध में)

30 दिसम्बर 1994 ई0 - 2 जनवरी 1995 ई0 को दारुल उलूम माटली वाला भड़ूंच गुजरात में आयोजित सातवें फ़िक़्ही सेमिनार में जानवर को ज़िब्ह करने से जुड़े मसअलों पर विचार हुआ और इस बारे में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया।

पहली बात

1– शब्दकोष (डिक्शनरी) के लिहाज़ से ज़िब्ह का अर्थ चीरना और फाड़ना होता है, लेकिन इस्लामी शरीअत की शब्दावली में ज़िब्ह नियन्त्रित जानवर की आहार व सांस नली और मुख्य शिराओं को काट देने को कहते हैं। जो जानवर नियन्त्रित न हो उसके मामले में, इसका मतलब उसके शरीर के किसी हिस्से को घायल करना होता है।

2- ज़िब्ह की दो क़िस्में (प्रकार) हैं (1) ज़िब्ह नियन्त्रित (इख़्तेयारी ज़िब्ह) (2) अनियन्त्रित ज़िब्ह (ग़ैर इख़्तेयारी ज़िब्ह)

नियन्त्रित ज़िब्ह में जानवर के गले की चारों रगें (शिराएं) पूरी तरह या उन का ज़्यादा हिस्सा काट दिया जाता है। यह उन जानवरों के साथ होता है जिन्हें ज़िब्ह करने के लिए क़ाबू में कर लिया जाता है। अनियन्त्रित ज़िब्ह में जानवर के शरीर के किसी अंग पर घाव लगाया जाता है जिससे उसका ख़ून बह निकलता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। यह आम तौर से जंगली और शिकारी जानवरों में होता है जिन्हें ज़िब्ह करने के लिए क़ाबू में नहीं किया जा सकता।

3- दोनों तरह के ज़िब्ह के लिए निम्न शर्तें ज़रूरी हैं:

☆ ज़िब्ह करनेवाला मुसलमान या अहले किताब हो।

☆ ज़िब्ह करनेवाला बौद्धिक रूप से स्वस्थ हो।

☆ ज़िब्ह के वक़्त अल्लाह तआला का नाम लिया जाए और उसी के नाम पर ज़िब्ह किया जाए।

4- अल्लाह के नाम के साथ किसी और का नाम न लिया जाए।

5- ज़िन्दा जानवर को ज़िब्ह किया जाए।

6- जानवरों की मौत ज़िब्ह करने से ही हो।

7- काटने वाला औज़ार (छुरा) तेज़ धार का हो।

नियन्त्रित ज़िब्ह के लिए विशेष शर्तें:

1- ज़िब्ह किए जाने वाले जानवर पर ही बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए

2- निश्चित शिराओं को काटा जाए

3- बिस्मिल्लाह पढने और ज़िब्ह करने की प्रक्रिया में अन्तराल न हो।

अनियन्त्रित जिब्ह के लिए विशेष शर्तें:

☆ शिकारी ऐहराम (हज व उमरा के लिबास) में न हो।

☆ शिकार किया जाने वाला जानवर हरम (काबा) परिसर का पालतू न हो।

☆ शिकार के लिए छोडा जाने वाला शिकारी जानवर या पक्षी पूरी तरह प्रशिक्षित हो।

☆ शिकार अगर शिकारी जानवर या पक्षी के ज़रिए हो तो उसे छोडते समय और अगर तीर या भला या गोली से हो तो उसे चलाते समय बिस्मिल्लाह पढी जाए।

☆ नियन्त्रित और अनियन्त्रित ज़िब्ह के अवसर अलग अलग हैं। जब नियन्त्रित करके ज़िब्ह करना मुमकिन न हो तभी अनियन्त्रित ज़िब्ह की इजाज़त होगी लिहाज़ा नियन्त्रित के स्थान पर अनियन्त्रित की इजाज़त नहीं है।

दूसरा पहलू:

1- ज़िब्ह करनेवाले के लिए शरीअत ने जो योग्यता तय की है उसके अनुसार वह अक़्ल रखने वाला बालिग़ या बालिगों जैसी समझ रखने वाला और मुसलमान या अहले किताब हो।

2- अहले किताब से मुराद वह लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा आसमानी ग्रन्थ हो जिका अनुमोदन क़ुरआन ने किया हो और वह उसपर ईमान रखता हो। इस ज़माने में यहूदी व ईसाई ही इस श्रेणी में आते हैं।

3- जो लोग खुद को यहूदी या ईसाई कहते हैं अगर उनका नास्तिक या इनकारी या मुश्रिक (मूर्तिपूजक) होना ज़ाहिर न हो तो उन्हें अहले किताब माना जाएगा।

4- क़ादयानी के हाथ से ज़बीहा (काटा गया जानवर) हलाल नहीं होगा चाहे वह खुद को अहमदी कहे या लाहौरी।

5- ज़िब्ह की शरई शर्तों का हर हाल में पाया जाना ज़रूरी है चाहे ज़िब्ह करनेवाला मुसलमान हो या अहले किताब। इस लिए ऐसी तमाम विधियां जिनमें जानवर को इस तरह मारा जाए कि उसे शरई ज़िब्ह न कहा जा सकता हो तो मारा या काटा गया जानवर ज़बीहा नहीं कहलाएगा और उसे खाना हलाल न होगा। जैसे गोली से मार देना बिजली की तारों से ज़िब्ह की जगह को जला देना या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर घाव लगाकर उसे मरने के लिए छोड देना आदि।

तीसरा पहलू:

1- शरीअत के हिसाब से ज़िब्ह करते समय अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़िब्ह किया जाए तो वह हलाल नहीं होगा। ज़िब्ह करते वक़्त अगर भूल की वजह से बिस्मिल्लाह नहीं पढी तो ज़बीहा हलाल होगा, लेकिन अगर जानबूझ कर बिस्मिल्लाह नहीं पढी गयी तो अधिकांश फ़िक़्ही इमामों की राय में वह हलाल नहीं होगा, क्यूंकि उनकी राय में बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है।

लेकिन इमाम शाफ़ई का मानना यह है कि ज़िब्ह करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढना केवल सुन्नत है इस

लिए जानबूझ कर बिस्मिल्लाह छोड देने वाला अगर बिस्मिल्लाह के महत्व को कम नहीं करना चाहता तो उसका ज़बीहा हलाल होगा।

इन दोनों बातों को सामने रखते हुए यह माना जाता है कि कोई मुसलमान जानबूझ कर अल्लाह का नाम लिए बिना ज़िब्ह नहीं करता, इस लिए यह खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बिस्मिल्लाह पढी या नहीं। हर मुसलमान के हाथ का ज़बीहा हलाल समझना चाहिए।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि बिस्मिल्लाह पढना ज़िब्ह की हर प्रक्रिया पर वाजिब है। इस लिए जब भी ज़िब्ह का अमल किया जाएगा, बिस्मिल्लाह पढी जाएगी। जैसे एक बार जानवर को पछाडकर बिस्मिल्लाह पढ कर ज़िब्ह करना शुरू किया लेकिन ज़िब्ह होने से पहले ही जानवर बेक़ाबू हो गया, तो उसे क़ाबू में करके जब दोबारा ज़िब्ह किया जाएगा तो दोबारा बिस्मिल्लाह पढनी होगी।

इसके विपरीत ज़िब्ह की एक ही प्रक्रिया में कई जानवर एक साथ ज़िब्ह किए जाएं तो उन सबके लिए एक बार ही बिस्मिल्लाह पढना काफ़ी है।

स्पष्ट रहे कि नियंत्रित ज़िब्ह में हर बार ज़िब्ह करते और बिस्मिल्लाह कहते समय जानवर का मालूम होना ज़रूरी है इसलिए कि एक या ज़्यादा जानवरों की नियत करके बिस्मिल्लाह की गई है उनकी जगह दूसरे जानवर ज़िब्ह होंगे तो वह हलाल नहीं होंगे।

3- जानवर को ज़िब्ह करने में अगर कई लोग शरीक हों, यानी छुरी के दस्ते पर दो या ज़्यादा लोगों का हाथ हो तो इन सभी लोगों को बिस्मिल्लाह पढनी होगी। जानवर का हाथ, पैर या सिर वग़ैरह पकड लेना ज़िब्ह की प्रक्रिया में शरीक होने जैसा नहीं है।

चौथा पहलू:

आज कल यह तरीक़ा अपनाया जाने लगा है कि जानवर की तकलीफ़ कम करने के मक़सद से जानवर को ज़िब्ह करने से पहले बिजली या किसी और ज़रिए से बेहोश कर दिया जाता है। सेमिनार में शरीक उलेमा इस तरीक़े से सहमत नहीं हैं, बेहतर यही है कि जानवर को बेहोश किए बिना ज़िब्ह किया जाए। लेकिन कहीं पर अगर यह तरीक़ा आमतौर से प्रचलित या लागू हो तो इस सिलसिले में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि बेहोश करने का तरीक़ा पूरी तरह सुरक्षित है और जानवर के मरने की सम्भावना नहीं है। ज़िब्ह से पहले जानवर के ज़िन्दा रहने के यक़ीन के साथ अगर ज़िब्ह किया जाएगा तो यह ज़बीहा हलाल होगा।

☆☆☆